सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्डअधिकारीकेकडीजिलाअजमेर

राजस्व वाद पत्र स0 1850/2017

दलपत पुत्र रामा लोधा निवासी लोधा का झोपडा (चीकल्या) तहसील सावर जिला अजमेर

———वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सावर

———प्रतिवादी

2. गोपाल पुत्र रामा जाति लोधा
3. किशन लाल पुत्र रामा जाति लोधा
4. मदन पुत्र चतरभुज जाति लोधा
5. रतन पुत्र चतरभुज जाति लोधा
6. जमना पुत्र चतरभुज जाति लोधा
7. रामनारायण पुत्र चतरभुज जाति लोधा

निवासीगण लोधा का झोपडा (चिकल्या) तहसील सावर जिला अजमेर राज.

—प्रोफोर्मा प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,91,209 राज. काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136

पीठासीन अधिकारीः श्री नीरज कुमार मीना (आरएएस)

निर्णय

दिनांक 04.05.2018

पत्रावली आज दिनांक केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार 2018 **केम्प गोरधा** में पेश हुई। वादी/प्रतिवादी उपस्थित । उभयपक्षों को सुना गया, संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

वादी ने जरिये अधिवक्ता एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,91,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 राज. लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया है कि वादग्रस्त आराजी वाके **ग्राम चिकल्या** तहसील **सावर** की जमाबन्दी सम्वत 2071—74 में खाता संख्या 69 व खाता संख्या 70 में दर्ज खातेदार में वादी का नाम गोपाल, किशनलाल, दिलखुश पुत्र रामा कौम लोधा सा.देह खातेदार दर्ज है। खाता संख्या 69 व खाता संख्या 70 वादी ने उक्त खाता नम्बरान में दिलखुश पुत्र रामा के स्थान पर दलपत पुत्र रामा का अंकन किये जाने बाबत यह वाद प्रस्तुत किया है।

हमने प्रार्थी के वादपत्र दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया । तहसीलदार सावर, भू. अभि. निरी., पटवारी हल्का **गोरधा** से रिपोर्ट प्राप्त की। प्राप्त जवाब रिपोर्ट अनुसार ग्राम चिकल्या तहसील सावर के जमाबन्दी संवत 2071—74 में दर्ज खाता संख्या 69 व खात संख्या 70 में वादी का नाम दलपत पुत्र रामा के स्थान पर दिलखुश लोधा दर्ज है। वाद वर्णित आराजीयात वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। वादी द्वारा स्वयं का वास्तविक नाम दलपत पुत्र राम लोधा प्रमाणित करने हेतु ड्राईविंग लाईसेंस, आधार कार्ड, राशनकार्ड, माध्यमिक परिक्षा 2008 व अन्य दस्तावेजों की प्रतियां प्रस्तुत की जो कि शामिल पत्रावली है। वादी के नाम के संबंध में मजमें आम में पुछताछ व जानकारी पर एव संलग्न दस्तावेज अनुसार वादी का नाम दिलखुश पुत्र रामा के स्थान पर दलपत पुत्र रामा लोधा का अंकन किया जाना उचित है।

अतः वादपत्र का अवलोकन किया साथ ही तहसीलदार सावर की जांच रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की ग्राम चिकल्या तहसील सावर के जमाबन्दी संवत 2071—74 में दर्ज खाता संख्या 69 व खाता संख्या 70 में वादी का नाम दिलखुश पुत्र रामा के स्थान पर दलपत पुत्र रामा लोधा का अंकन किये जाने की घोषणा हेतु मजमे न्याय आपके द्वार केम्प गोरधा में की गई ।

यदि किसी न्यायालय में कोई आपाराधिक वाद या जांच में वादी का नाम दिलखुश पुत्र रामा विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था में वादी का नाम दिलखुश पुत्र रामा के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिये भी वादी का नाम दिलखुश पुत्र रामा ही माना जावेगा तथा नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार सावर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

आदेश आज दिनांक 04.05.2018 को केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार केम्प गोरधा में मजमें आम में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
केकडी